तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	प्र.स 74/2018 (2018/00145) भोपाल सिंह v/s श्री नाथ [illegible]	
30/1/2020	पढ़ावली पेश हुई अधिवक्ता फरीकेन उपस्थित प्रकरण में अधिवक्ता प्रार्थी के बहस में प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए प्रकरण में रेकार्ड एवं मौके की यथास्थिति बताये एवं तथा प्रार्थी के हिस्से की भूमि में किसी प्रकार से दखलन्दाजी न तो स्वयंमेव न अन्य से करावे; विपक्षी अधिवक्ता द्वारा बहस में निवेदन किया कि प्रार्थी का मौके पर कब्जा नहीं है तथा विपक्षी कि प्रार्थी का मौके पर कब्जा नहीं है तथा विपक्षी खातेदार है. खातेदार के विरुद्ध TI जारी नहीं की जा सकती है प्रार्थना पत्र निरस्त करने। पढ़ावली का अवलोकन किया तथा बहस पर मनन किया तो पाया कि प्रार्थी प्रार्थना पत्र में वर्णित विवादित आराजीशात के 1/3 हिस्सा का खातेदार है अगर खातेदार को किसी तरह से उपभोग उपयोग में कोई दखलन्दाजी करता है तो उसके विरुद्ध अस्थायी निषेधाज्ञा जारी की जा सकती है विपक्षी अपने हक हिस्से की भूमि पर काबिज हो उपयोग - उपभोग करे. साथ ही प्रार्थी भी अपने हक हिस्से की सीमा तक उपयोग उपभोग करे इसमें कोई पक्ष रोक नहीं सकता है अगर कोई स्वतः व्यक्ति खातेदार को उपयोग उपभोग करने में दखल देता है तो उसके विरुद्ध अस्थायी निषेधाज्ञा जारी की जा सकती है,	

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए

विचाराधीन प्रकरण मे प्रार्थी खातेदार कृषक है. प्रार्थी के हक हिस्से तक विपक्षीगण किसी तरह से दखलन्दाजी नही कर सकते है.

अतः प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 RTA 1955 स्वीकार कर आदेश दिया जाता है कि प्रार्थी की खातेदारी भूमि मे प्रार्थी के उपभोग - उपभोग मे विपक्षीगण किसी तरह की दखल - अन्दाजी न तो स्वयं करे न अन्य से करावे साथ वाद के निस्तारण तक विपक्षीगण के विरुद्ध वादकृत प्रार्थी के प्रार्थना मे अस्थायी निषेधाज्ञा जारी की जाती है. दोनो पक्ष किसी के हक हिस्से मे दखल पैदा नही करे अपने 2 हक हिस्से तक काबिज रहे प्रार्थी के कब्जे काश्त मे बाधा उत्पन्न नही करे, निर्णय सुनाते न्यायालय से सुनाया गया, पक्षावली फोलियो शुमार होकर नम्बार से बन्द हो।

30.1.2020

(सुन्दरलाल बम्बोड़ा)
(RAS)

सहायक कलक्टर (उपखण्ड अधिकारी
[redacted] (मेवाड़)

Signature Not Verified
Digitally signed by Sundar Lal Bamboda
Date: 2020.01.31 14:09:29 IST
Reason: SelfAttested
Location: